पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

किरण देवी

बनाम

अखिलेश मिश्रा एवं अन्य

2019 का विविध अपील संख्या 247

1 सितंबर 2025

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.पी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या क्रूरता और परित्याग के आधार पर उतरदाता -पति को तलाक का आदेश देने वाला पारिवारिक न्यायालय का निर्णय साक्ष्य और इन आधारों को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की सही समझ पर आधारित था? [कंडिका 2, 8, 13, 17(ii) से उद्धृत]

क्या अपीलकर्ता-पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार के आरोप विधि द्वारा अपेक्षित ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए गए थे? [कंडिका 3, 11, 18, 24, 26 से उद्धृत]

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा13(1)(आइ.ए) के तहत क्रूरता के आधार के लिए निरंतर अनुचित आचरण का प्रमाण आवश्यक है जिससे पीड़ित पति या पत्नी के मन में यह उचित आशंका उत्पन्न हो कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या क्षतिपूर्ण है। केवल मामूली चिड़चिड़ाहट, झगड़े या विवाहित जीवन की सामान्य टूट-फूट कानूनी क्रूरता का गठन करने के लिए अपर्याप्त हैं। सबूत का भार पूरी तरह से क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी पर है। [कंडिका 19, 20, 22, 23 से उद्धृत]

व्यभिचार के आरोप के लिए विवाहेतर संबंध बनाने का सबूत ज़रूरी है। बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए अस्पष्ट और बिना किसी आधार के आरोप, तलाक के इस गंभीर आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। [कंडिका 18, 24, 25, 26 से उद्धृत]

न्याय दृष्टान्त

समर घोष बनाम जया घोष, (2007) 4 एससीसी 511; नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने, एआईआर 1975 एससी 1534

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक, क्रूरता (मानसिक), परित्याग, व्यभिचार, सबूत का बोझ, स्थायी गुजारा भत्ता, साक्ष्य की सराहना

प्रकरण से उत्पन्न

एमएम मामला संख्या 176/2011 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 25.02.2019। [कंडिका 2, 13, 27 से उद्धृत]।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं (पत्नी) के लिए:- श्री संजय कुमार पांडे नंबर 5, अधिवक्ता।

उतरदाता /उतरदाताओं (पति एवं सह-उतरदाता) के लिए:-श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता; श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता; श्री शंशांक कश्यप, अधिवक्ता; सुश्री शेषाद्रि कुमारी, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 की विविध अपील सं.247

==========

किरण देवी, पति- अखिलेश मिश्रा, निवासी- गाँव- संसार बंटारिया, थाना- भोरे, जिला-गोपालगंज, वर्तमान निवास- पिता- ब्रज नंदन शुक्ला, गाँव- खजुराहा मिश्रा, थाना- भोरे, जिला-गोपालगंज।

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. अखिलेश मिश्रा, पिता- कन्हैया मिश्रा, निवासी गाँव-संसार बंटारिया, थाना- भोरे, जिला- गोपालगंज
2. अशोक शर्मा, पिता- दशरथ शर्मा, निवासी गाँव-गरिया खल्ला, थाना- गोपालपुर, जिला-गोपालगंज

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री संजय कुमार पांडे सं. 5 अधिवक्ता,
उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता	:	श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता
		श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता
		श्री शशांक कश्यप, अधिवक्ता
		सुश्री शेषाद्री कुमारी, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश
एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह
सी.ए.वी. निर्णय
(द्वारा:माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)
दिनांक:01-09-2025

पक्षों को सुना।

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गोपालगंज द्वारा एम.एम. मामला संख्या 176/2011 में पारित दिनांक 25.02.2019 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है,

जिसके तहत उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा विवाह विच्छेद पर तलाक की डिक्री के लिए दायर वैवाहिक वाद को अपीलकर्ता के जीवन निर्वाह हेतु स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 2,50,000/- रुपये के भुगतान की शर्त पर स्वीकार किया गया है।

3. पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार उत्तरदाता संख्या 1 का मामला यह है कि अपीलकर्ता का विवाह उत्तरदाता संख्या 1 के साथ मई, 2005 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के बाद, अपीलकर्ता अपने ससुराल आई और कुछ महीनों तक वहाँ रही और उसके बाद, वह अपने माता-पिता के घर गई और एक साल तक वहाँ रही। उत्तरदाता-पति और उसके पिता ने अपीलकर्ता को उसके ससुराल ले जाने के कई प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। अंत में जून, 2006 में उत्तरदाता संख्या 1 अपने ससुर और साले के वादे पर कुछ रिश्तेदारों के साथ अपने ससुराल गया, लेकिन वह उत्तरदाता संख्या 1 के साथ नहीं आई। बाद में, उत्तरदाता-पति को पता चला कि अपीलकर्ता का अशोक शर्मा (उत्तरदाता संख्या 2) के साथ अवैध संबंध है, जो अक्सर अपीलकर्ता के घर आता-जाता था। उत्तरदाता-पति को यह भी पता चला कि अपीलकर्ता गर्भवती थी और एक लड़की का जन्म हुआ था, जो जन्म के तुरंत बाद मर गई। उत्तरदाता-पति ने अपीलकर्ता के साथ मामले को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 2761/2009 दर्ज किया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए), 406, 34 के तहत भोरे थाना वाद संख्या 2/2010 के रूप में दर्ज किया गया। उपरोक्त वाद में, उत्तरदाता-पति और उसके पिता 6-7 महीने तक जेल में सड़ते रहे और अंततः कुछ समय बाद, रिश्तेदारों के

हस्तक्षेप पर, उक्त वाद में समझौता हो गया और अपीलकर्ता अपनी ससुराल आ गई, लेकिन कुछ समय बाद, अपीलकर्ता उत्तरदाता संख्या 2 के साथ अपनी ससुराल से चली गई। उत्तरदाता-पति ने आगे आरोप लगाया कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता-पति ने अपनी शादी के बाद से कभी साथ नहीं रहा और अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पति के वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है। इसलिए, उत्तरदाता-पति ने प्रार्थना की कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 1 के बीच विवाह को भंग घोषित किया जाए और उसके पक्ष में तलाक का आदेश पारित किया जाए।

4. न्यायालय द्वारा जारी समन/नोटिस के प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ता/विपक्षी संख्या 1 उपस्थित हुई और अपना उत्तर/लिखित बयान दाखिल किया।

5. अपने लिखित बयान/जवाब में, उत्तरदाता संख्या 1 ने कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप झूठे, मनगढ़ंत और निराधार हैं। उसने आगे कहा है कि वर्ष 2005 में विवाह के बाद, वह उत्तरदाता-पति के घर चली गई और अपने ससुराल में रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद, उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच, अपीलकर्ता गर्भवती हो गई और एक लड़की का जन्म हुआ, जिसकी जन्म के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद, उत्तरदाता-पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपीलकर्ता पर मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और अंततः, 20-04-2009 को उन्होंने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे ससुराल से निकाल दिया। अपीलकर्ता के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने कई प्रयास किए और उत्तरदाता-पति और अन्य ससुराल वालों से उसे उसके ससुराल

में रखने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे उसके ससुराल में रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 2761/2009 दर्ज किया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए), 406, 34 के तहत भोरे थाना मामला संख्या 2/2010 के रूप में दर्ज किया गया। इसके बाद उत्तरदाता-पति ने तलाक का वाद दायर किया, अर्थात एम.एम. मामला संख्या 62/2009। उपरोक्त मामले में, समझौता हुआ और उत्तरदाता-पति को अपीलकर्ता को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ता अपने ससुराल चली गई और वहीं रहने लगी, लेकिन इस बीच उत्तरदाता-पति को दुबई में नौकरी मिल गई और दहेज की मांग को लेकर उसे फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा। उत्तरदाता-पति ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर वर्तमान तलाक का वाद, अर्थात एम.एम. मामला संख्या 176/2011, फिर से दायर किया।

6. दोनों पक्षों के प्रतिद्वंदी तर्कों के आधार पर, इस वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:-

1. क्या प्रस्तुत वाद चलाने योग्य है?

2. क्या अपीलकर्ता के पास यह वाद दायर करने का कोई कारण है?

4. क्या आवेदक विपक्षी के विरुद्ध विवाह विच्छेद हेतु डिक्री प्राप्त करने का हकदार है?

5. क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य राहत या राहतों का हकदार है?

7. मुकदमे के दौरान, उत्तरदाता-पति की ओर से कुल दो साक्षी पेश किए गए।

8. अ.सा.1- अखिलेश मिश्रा उत्तरदाता-पति है, जिसने गवाही दी है कि शादी के बाद, अपीलकर्ता अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसके बाद वह अपने माता-पिता के घर चली गई। उसने अपीलकर्ता को उसके ससुराल लाने के कई प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास निष्फल रहे। अ.सा. 1 ने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता का उत्तरदाता संख्या 2 के साथ अवैध संबंध है और वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। इसलिए, वह तलाक की डिक्री के लिए प्रार्थना करता है।

9. अ.सा. 2 कन्हैया मिश्रा उत्तरदाता-पति के पिता हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके पुत्र का विवाह अपीलकर्ता के साथ वर्ष 2005 में हुआ था और विवाह के बाद, वह लगभग 3-4 महीने तक अपने ससुराल में रही और उसके बाद, वह अपने माता-पिता के घर चली गई। उनके पुत्र ने अपीलकर्ता को उसके ससुराल वापस लाने के कई प्रयास किए, लेकिन वह अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी। उन्होंने आगे कहा है कि इस वाद से पहले एम.एम. विवाह विच्छेद के लिए वाद संख्या 62/2009 दायर किया गया था, जिसमें समझौता हो गया था और उक्त समझौते के आधार पर, वह अपने ससुराल आ गई और यह कहना गलत है कि अपीलकर्ता को उसके ससुराल से निकाल दिया गया था।

10. अपीलकर्ता-पत्नी ने अपने वाद के समर्थन में दो साक्षी भी पेश किए हैं।

11. वि.सा.-1 किरण देवी स्वयं अपीलकर्ता हैं, जिन्होंने कहा है कि शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गईं, लेकिन 3-4 महीने बाद, उत्तरदाता-पति और अन्य ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दहेज में रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग की और दहेज की मांग

पूरी न होने पर उन्हें उनके ससुराल से निकाल दिया। वह सितंबर 2005 से अपने माता-पिता के घर में रह रही हैं। उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ दुर्व्यवहार करने से इनकार किया है।

12. वि.सा.-2 ब्रज नंदन शुक्ला अपीलकर्ता के पिता हैं, जिन्होंने कहा है कि उनकी बेटी का विवाह उत्तरदाता संख्या 1 के साथ वर्ष 2005 में हुआ था और विवाह के बाद, वह अपने ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद, दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया

13. मुकदमे की समाप्ति के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने माना कि उत्तरदाता-पति ने साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता के हाथों उसके साथ क्रूरता की गई और उसने उसे छोड़ दिया है। तदनुसार, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उत्तरदाता-पति क्रूरता के साथ-साथ परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार है और तदनुसार, अपीलकर्ता और उत्तरदाता-पति के बीच विवाह तलाक की डिक्री द्वारा विघटित कर दिया गया, बशर्ते कि अपीलकर्ता के जीवन निर्वाह के लिए 2,50,000/- रुपये स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में दिए जाएँ।

14. तत्पश्चात, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा एम.एम. मामला संख्या 176/2011 में पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

15. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री गलत है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवेकपूर्ण विचार के बिना यंत्रवत पारित की गई है। उसने आगे कहा है कि वर्ष 2005 में विवाह के बाद, वह उत्तरदाता-

पति के घर चली गई और अपने ससुराल में रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद, उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। इस बीच, अपीलकर्ता गर्भवती हो गई और एक लड़की का जन्म हुआ, जिसकी जन्म के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद, उत्तरदाता-पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपीलकर्ता पर मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और अंततः, 20-04-2009 को उन्होंने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे ससुराल से निकाल दिया। अपीलकर्ता के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने कई प्रयास किए और उत्तरदाता-पति और अन्य ससुराल वालों से उसे ससुराल में रखने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे ससुराल में रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पति और परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध शिकायत मामला संख्या 2761/2009 दायर किया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए), 406, 34 के अंतर्गत भोरे थाना मामला संख्या 2/2010 के रूप में पंजीकृत हुआ। इसके बाद उत्तरदाता-पति ने तलाक का मामला अर्थात एम.एम. वाद संख्या 62/2009 दायर किया। उपरोक्त वाद में, समझौता हुआ और उत्तरदाता-पति को अपीलकर्ता को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ता अपने ससुराल चली गई और वहीं रहने लगी, लेकिन इस बीच उत्तरदाता-पति को दुबई में नौकरी मिल गई और दहेज की मांग को लेकर अपीलकर्ता को फिर से प्रताड़ित किया गया। उत्तरदाता-पति ने पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर वर्तमान तलाक का वाद अर्थात एम.एम. मामला संख्या 176/2011 दायर किया।

16. प्रतिपक्ष, उत्तरदाता-पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित निर्णय और डिक्री न्यायोचित और

विधि के अनुरूप है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है और विवाह विच्छेद के लिए दायर वाद को उचित रूप से स्वीकार किया है।

17. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंदी तर्कों, साक्ष्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्णय हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

(i) क्या अपीलकर्ता अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय न्यायसंगत, उचित और कानून की दृष्टि में मान्य/मान्य है।

18. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन और अपीलकर्ता एवं उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि उत्तरदाता-पति ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता-पत्नी हमेशा उससे और उसके परिवार के सदस्यों से झगड़ा करती थी, लेकिन न तो वादपत्र में और न ही उसके साक्ष्य में किसी विशेष तिथि का उल्लेख किया गया है। उसने अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि इस तलाक के मामले को दायर करने से पहले, अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 1 के बीच कोई संबंध नहीं थे। उत्तरदाता-पति ने उत्तरदाता संख्या 2 के साथ अपीलकर्ता के अवैध संबंध के संबंध में कोई सबूत भी अभिलेख पर नहीं पेश किया है। उत्तरदाता-पति ने कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत भी अभिलेख पर नहीं पेश किया है जिससे यह पता चल सके कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 2 व्यभिचार में रह रहे हैं। उत्तरदाता-पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह

अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई याचिका भी दायर नहीं की है जिससे यह पता चले कि वह अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने में रुचि रखता है। उत्तरदाता-पति ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसने उसी आरोप के साथ दूसरी तलाक याचिका क्यों दायर की है, जबकि अभिलेख बताते हैं कि वर्तमान तलाक याचिका दायर करने से पहले, उत्तरदाता-पति ने एम.एम. वाद संख्या 62/2009 भी दायर किया था, जिसका समझौता हो गया था। जहाँ तक व्यभिचार के आरोप का संबंध है, अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तलाक के वाद में कानूनी आधार बनाने के लिए ही उत्तरदाता-पति द्वारा ये निराधार आरोप लगाए गए हैं।

19. जहाँ तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का प्रश्न है, 'क्रूरता' शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह सर्वविदित है कि क्रूरता ऐसे चरित्र और आचरण की स्थिति है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में यह उचित आशंका पैदा करती है कि विपक्षी.-उत्तरदाता के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख वाद 2007 (4) एससीसी 511 में यह टिप्पणी की है कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शिकायत किया गया व्यवहार और परिणामी खतरा या आशंका बहुत गंभीर, ठोस और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। विवाहित जीवन में होने वाली छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, सामान्य टूट-फूट जो दिन-प्रतिदिन होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

21. इस संदर्भ में, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता वाद में दिए गए निर्णय के दौरान की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी को उद्धृत करना चाहते हैं। नारायण दास्ताने, एआईआर 1975, 1534 में प्रतिवेदित किया गया, जो इस प्रकार है:-

> *"एक अन्य बात जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है वह यह है कि यद्यपि धारा 10(1) (बी) के तहत, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या क्षतिकर होगा, उचित होनी चाहिए, ऐसी आशंका के संदर्भ को छोड़कर, एक समझदार व्यक्ति की अवधारणा को आयात करना गलत है, जैसा कि वैवाहिक संबंधों के निर्णय में लापरवाही के कानून में ज्ञात है। पति-पत्नी से निःसंदेह अपेक्षित और अपेक्षित है कि वे अपने संयुक्त उद्यम को यथासंभव सर्वोत्तम रूप से संचालित करें लेकिन क्रूरता के आरोप की जाँच करने वाली अदालत का यह काम नहीं है कि वह विवाहित जीवन के तौर-तरीकों पर दार्शनिकता करे। कोई व्यक्ति दिन भर का काम खत्म करने के लिए देर तक जागना चाहता है और कोई व्यक्ति सुबह गोल्फ खेलने के लिए जल्दी उठना चाहता है। अदालत इन लोगों की आदतों या शौक के आधार पर यह परीक्षण नहीं कर सकती कि क्या समान स्थिति वाला एक समझदार व्यक्ति भी इसी तरह व्यवहार करेगा। यह प्रश्न कि क्या शिकायत किया गया कदाचार तलाक के प्रयोजनों के लिए क्रूरता और इसी तरह का है, मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है जिसने शिकायत की है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या आचरण किसी विवेकशील व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदनशीलता वाले व्यक्ति के प्रति क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति/पत्नी पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है, वह दूसरे व्यक्ति द्वारा हँसी में उड़ाया जा सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में क्रूर नहीं हो*

सकता, वह दूसरी परिस्थिति में अत्यधिक क्रूरता हो सकता है। न्यायालय को किसी आदर्श पति और आदर्श पत्नी से नहीं, (यह मानते हुए कि ऐसा कोई अस्तित्व में है) बल्कि उसके समक्ष उपस्थित विशेष पुरुष और महिला से निपटना होता है। आदर्श जोड़े या लगभग आदर्श जोड़े को शायद वैवाहिक न्यायालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भले ही वे अपने मतभेदों को स्पष्ट न कर पाएँ, लेकिन उनके आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी गलतियों और विफलताओं को अनदेखा करने या उन पर पर्दा डालने में मदद कर सकते हैं।

22. उपर्युक्त समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद,पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता-पति, अपीलकर्ता द्वारा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति किए गए क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार उत्तरदाता-पति पर है।पारिवारिक न्यायालय में दायर शिकायत में कथित क्रूरता की विशिष्ट तिथि के संदर्भ में एक भी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, पत्नी (अपीलकर्ता) अभी भी उत्तरदाता-पति के साथ रहने को तैयार है। इसके अलावा, कथित तौर पर कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग कभी-कभी पति-पत्नी के दैनिक वैवाहिक जीवन में दूसरे पति या पत्नी के प्रतिशोध के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने का उचित/स्थायी आधार नहीं हो सकता। कुछ मामूली कथन या टिप्पणी या एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को धमकी देना क्रूरता का ऐसा आदेश नहीं माना जा सकता, जो कानूनी रूप से तलाक के आदेश के लिए आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है, जो अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में

पैदा और पले-बढ़े होते हैं, अलग-अलग जीवन स्तर पर रहते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता की गुणवत्ता और समाज में उनकी स्थिति अलग-अलग होती है।

23. इस प्रकार, इस वाद के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि उत्तरदाता-पति क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और अपीलकर्ता के क्रूर व्यवहार के आदेश को तो और भी अधिक साबित कर पाया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (आइ ए) के तहत तलाक के आदेश को मंजूरी देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है।

24. जहाँ तक व्यभिचार के आधार का संबंध है, व्यभिचार को एक विवाहित व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी अन्य विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, व्यभिचार को तलाक या न्यायिक पृथक्करण के आधारों में से एक माना गया है।

25. व्यभिचार के अपराध में आवश्यक तत्व ये हैं: (i) विवाह के बाहर यौन संभोग होना चाहिए, और (ii) ऐसा संभोग स्वैच्छिक होना चाहिए।

26. उत्तरदाता-पति ने यह दर्शाने के लिए कोई सबूत अभिलेख पर नहीं लाया है कि अपीलकर्ता का उत्तरदाता संख्या 2 के साथ अवैध संबंध था और न ही उसने यह साबित किया है कि वे व्यभिचार में रह रहे थे और केवल तलाक की याचिका में एक वैध आधार बनाने के लिए, ये आरोप अपीलकर्ता के खिलाफ बिना किसी सहायक भौतिक साक्ष्य के लगाए गए थे।

27. तदनुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गोपालगंज द्वारा एम.एम. मामला संख्या 176/2011 में पारित दिनांक

25.02.2019 के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है तथा एम.एम. मामला संख्या 176/2011 को खारिज किया जाता है।

28. एम.ए. संख्या 247/2019 तदनुसार स्वीकृत किया जाता है।

29. लंबित आई.ए., यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।